DCM SHRIRAM INDUSTRIES LTD.

DCM SHRIRAM

'KANCHENJUNGA', 18, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110001, INDIA.

Dated: 4th January, 2025

To, BSE Ltd. Pheroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 **Scrip Code: 523369**	To, National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051 **Symbol: DCMSRIND**

Subject: Newspaper Publication – Notice convening the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that we have published Notice convening the meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors, pursuant to the directions of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench in "The Business Standard" (English) and "The Jansatta" (Hindi) today i.e. 4th January, 2025. Copies of the newspaper cuttings are attached.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LTD. NEW DELHI

(Y.D. Gupta)
Company Secretary &
Compliance Officer
FCS: 3405

Encl: As above

TEL.: 011 43745000 □ FAX : 011 23315424 □ E-MAIL : dsil@dcmsr.com □ POST BOX No. 205
□ VISIT US AT : http://www.dcmsr.com □ CIN : L74899DL1989PLC035140 □ GSTIN : 07AAACD0204C2ZM

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
BENCH AT NEW DELHI
CA (CAA) No. 103 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

AND

IN THE MATTER OF:

Composite Scheme of Arrangement Amongst Lily Commercial Private Limited, DCM Shriram Industries Limited, DCM Shriram Fine Chemicals Limited and DCM Shriram International Limited and their respective shareholders and creditors.

IN THE MATTER OF :

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED, (**CIN**: L74899DL1989PLC035140), (**PAN**: AAACD0204C), A public limited company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India.	**...Transferee Company/ DCMSR**

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED AS PER DIRECTIONS OF THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH.

Notice is hereby given that in terms of the orders dated 6th December, 2024 and 18th December, 2024, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at New Delhi **("NCLT")**, **("Orders")** has directed meeting to be held of the Equity Shareholders of DCMSR, for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Arrangement amongst Lily Commercial Private Limited **("Transferor Company")**, DCMSR, DCM Shriram Fine Chemicals Limited **("Resultant Company 1")** and DCM Shriram International Limited **("Resultant Company 2")** and their respective Shareholders and Creditors **("Scheme")** under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 **("2013 Act")** and other applicable provisions of the 2013 Act read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 **("2016 Rules")**.

In pursuance of the said Orders and as directed therein and in accordance with the applicable provisions of the 2013 Act, notice is hereby given that meeting of the Equity Shareholders of DCMSR will be held as under, at which, the Equity Shareholders are requested to attend.

Sr. No.	Class of Meeting	Day and Date of Meeting	Time (IST)	Mode
1.	Equity Shareholders	Saturday, 8th February, 2025	11:00 AM	Through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM')

DCMSR has on 3rd January, 2025 completed the dispatch of Notice of Meeting, copy of the Scheme, Explanatory Statement under Sections 230, 232 and Section 102 of the 2013 Act read with Rule 6 of the 2016 'Rules and accompanying documents (collectively referred to as the **"Particulars"**) to all the Equity Shareholders whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 30th September, 2024. The Particulars were sent to the Equity Shareholders through courier (to those equity shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Transferee Company) and by electronic mode by e-mail (to those equity shareholders whose e-mail IDs are registered with the Transferee Company/Depository Participants). The Particulars can be obtained free of charge (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the Equity Shareholders of DCMSR at the Registered Office of DCMSR or by sending a request along with details of shareholding by email at dsil@dcmsr.com The Particulars including the e-voting instructions are available on DCMSR's website at https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ and on the website of KFin Technologies Limited ("KfinTech") at www.kfintech.com.

NCLT has appointed Ms. Rashmi Chopra, Senior Advocate, as Chairperson of the said meeting and in her absence Ms. Devira Gupta Roy, Advocate as Chairperson, of the said meeting of the Equity Shareholders of DCMSR.

The Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Further Notice is hereby given to the Equity Shareholders of DCMSR that:

1. DCMSR has provided the facility of remote e-voting so as to enable the Equity Shareholders to consider and approve the Scheme. DCMSR has also provided the facility of electronic voting system at the meeting. DCMSR has engaged the services of KfinTech for facilitating remote e-voting services and e-voting at the meeting.
2. In accordance with the provisions of Sections 230-232 of the 2013 Act, the Scheme shall be acted upon if a majority of persons representing three fourth in value of the Equity Shareholders of DCMSR, voting, agree to the Scheme. The Scheme is conditional upon the Scheme being approved by the public shareholders of DCMSR through e-voting in terms of Part – I (A)(10)(a) of SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/93 dated 20th June, 2023, and the Scheme shall be acted upon only if votes cast by the public shareholders of DCMSR in favour of the proposal are more than the number of votes cast by the public shareholders (of DCMSR) against it.
3. The cut-off date for determining the eligibility of the Equity Shareholders for voting is 1st February, 2025. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled for voting. Persons who are not Equity Shareholders of DCMSR as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
4. Voting through remote e-voting by the Equity Shareholders will commence on 5th February, 2025 at 9.00 AM (IST) and shall end on 7th February, 2025 at 5.00 PM (IST).
5. The Equity Shareholders can opt for only one mode for voting i.e., either by remote e-voting or e-voting at the meeting. Equity shareholders who have cast their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Ms. Manmeet Kaur Sareen, Advocate has been appointed as the Scrutinizer to conduct the remote e-voting process and the e-voting at the meeting in a fair and transparent manner.
7. In case of any query/grievance in relation to the voting by remote e-voting or e-voting, the same may be addressed to Mr. G S Nair, Sr. Vice President of DCMSR at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001 or through email at dsil@dcmsr.com or to KfinTech at einward.ris@kfintech.com or call on 011-43745000 on 1800 309 4001 respectively.
8. The results, together with the Scrutinizer's Report, will be announced within two working days from the conclusion of meeting and will be placed on the website of DCMSR at https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ and on the website of KfinTech at www.kfintech.com and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of DCMSR are listed.
9. If so desired, the Equity Shareholder may obtain a physical copy of the Notice, Scheme and the Statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the 2013 Act and Rule 6 of the 2016 Rules etc. free of charge. A written request in this regard along with details of your shareholding in DCMSR, may be addressed to the Company Secretary at dsil@dcmsr.com.

Sd/-
Rashmi Chopra
Chairperson appointed for the Meeting

Place: New Delhi
Date: 3rd January, 2025

DCM SHRIRAM

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
सीए (सीएए) सं. 103/2024

के विषय में :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016.

तथा

के विषय में :

लिली कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स लिमिटेड तथा डीसीएम श्रीराम इंटरनैशनल लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम।

के विषय में :

डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (**CIN**: L74899DL1989PLC035140), (**PAN**: AAACD0204C), कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, भारत में स्थित हैं	**.........अंतरिती कम्पनी/डीसीएमएसआर**

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के निर्देशों के अनुसार डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक की सूचना एवं विज्ञापन।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आदेश दिनांकित 6 दिसम्बर, 2024 तथा 18 दिसम्बर, 2024 के निबन्धनों में, माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ **("एनसीएलटी")**, **("आदेश")** ने डीसीएमएसआर के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक, कम्पनी अधिनियम, 2013 **("2013 अधिनियम")** की धारा 230 से 232 तक तथा 2013 अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 **("नियमावली 2016")** के तहत लिली कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड **(अंतरणकर्ता कम्पनी)**, डीसीएमएसआर, डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स लिमिटेड **(परिणामी कम्पनी 1)** तथा डीसीएम श्रीराम इंटरनैशनल लिमिटेड **(परिणामी कम्पनी 2)** और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम **("स्कीम")** में प्रस्तुत व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाता है, तो संशोधन(नों) के साथ अथवा उनके बिना अनुमोदित करने के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में तथा जैसा कि उसमें निदेशित किया गया है और 2013 अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि डीसीएमएसआर के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक नीचे वर्णितानुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें उक्त अप्रतिभूत क्रेडिटर्स से भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

क्र. सं.	बैठक की श्रेणी	बैठक का दिन और दिनांक	समय (आईएसटी)	मोड
1.	इक्विटी शेयरहोल्डर्स	शनिवार, 8 फरवरी, 2025	सुबह 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से

डीसीएमएसआर, बैठक की सूचना, स्कीम की प्रति, 2013 अधिनियम की धारा 230, 232 तथा धारा 102 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 के तहत व्याख्यात्मक विवरण और संलग्न दस्तावेज (सामूहिक रूप से **"विवरण"** कहा गया है) 30 सितम्बर, 2024 ("कट ऑफ डेट") को डीसीएमएसआर की लेखा बहियों के अनुसार इक्विटी शेयरहोल्डर्स को भेजने का कार्य 3 जनवरी, 2025 को पूर्ण कर चुकी है। उक्त विवरण इक्विटी शेयरहोल्डर्स (जिनकी ई–मेल आईडी अंतरिती कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं हैं) को कुरियर द्वारा भेजे गए थे और उन इक्विटी शेयरहोल्डर्स (जिनकी ई–मेल आईडी अंतरिती कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध हैं) को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजे गए थे। डीसीएमएसआर के इक्विटी शेयरहोल्डर्स उक्त विवरण उसके लिए मांग पत्र प्रस्तुत करके डीसीएमएसआर के पंजीकृत कार्यालय से (शनिवार, रविवार तथा अवकाश दिनों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उक्त विवरण, ई–वोटिंग अनुदेशों सहित डीसीएमएसआर की वेबसाइट https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ पर तथा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन टेक") की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध हैं।

एनसीएलटी ने डीसीएमएसआर के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की उक्त बैठक के लिए सुश्री रश्मि चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता को अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में सुश्री देविरा गुप्ता रॉय, अधिवक्ता, को अध्यक्ष नियुक्त किया है।

उक्त स्कीम, यदि उपरोक्त बैठक में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

इसके अतिरिक्त डीसीएमएसआर के इक्विटी शेयरहोल्डर्स को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. डीसीएमएसआर ने रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा की व्यवस्था की है, ताकि इक्विटी शेयरहोल्डर्स स्कीम पर विचार और अनुमोदन कर सकें। डीसीएमएसआर ने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की सुविधा की व्यवस्था भी की है। डीसीएमएसआर ने रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं तथा बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुकर बनाने के लिए केफिन टेक की सेवाएं अनुबंधित की हैं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के प्रावधानों के अनुसार, स्कीम लागू की जाएगी, यदि डीसीएमएसआर के इक्विटी शेयरहोल्डर्स के मूल्य में तीन चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वोट द्वारा स्कीम हेतु सहमति व्यक्त करते हैं। यह स्कीम सशर्त है जो सेबी मास्टर सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/93 दिनांकित 20 जून, 2023 के Part – I (A)(10)(a) के निबन्धनों में ई–वोटिंग के माध्यम से डीसीएमएसआर के सार्वजनिक शेयरहोल्डर्स द्वारा अनुमोदन के अधीन है तथा स्कीम केवल तब ही लागू की जाएगी, यदि डीसीएमएसआर के सार्वजनिक शेयरहोल्डर्स द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए वोट्स की संख्या डीसीएमएसआर के सार्वजनिक शेयरहोल्डर्स द्वारा प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए वोट्स की संख्या से अधिक है।
3. वोटिंग के लिए इक्विटी शेयरहोल्डर्स की पात्रता निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि 1 फरवरी, 2025 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही वोट डालने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को डीसीएमएसआर का इक्विटी शेयरहोल्डर नहीं है, उसको यह सूचना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए।
4. इक्विटी शेयरहोल्डर्स द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग 5 फरवरी, 2025 को प्रातः 9:00 बजे आरंभ होगी तथा 7 फरवरी, 2025 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।
5. इक्विटी शेयरहोल्डर्स वोटिंग की केवल एक विधि चुन सकते हैं अर्थात या तो रिमोट ई–वोटिंग या फिर बैठक में ई–वोटिंग। इक्विटी शेयरहोल्डर्स जो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके होंगे, बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
6. सुश्री मनमीत कौर सरीन, अधिवक्ता को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया तथा बैठक में ई–वोटिंग, एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
7. रिमोट ई–वोटिंग अथवा बैठक में ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी संदेह/शिकायत की दशा में, उनको श्री जी.एस. नायर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डीसीएमएसआर, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, भारत के पते पर भेजा जा सकता है अथवा ई–मेल के माध्यम से dsil@dcmsr.com/einward.ris@kfintech.com पर भेजा जा सकता है और 011-43745000 / 1800 309 4001 क्रमानुसार पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
8. परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, बैठक की समाप्ति से दो कार्यदिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे और डीसीएमएसआर की वेबसाइट https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ पर तथा केफिन टेक की वेबसाइट www.kfintech.com पर पर स्थापित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंग, जहां डीसीएमएसआर के शेयर सूचीबद्ध हैं।
9. इक्विटी शेयरहोल्डर्स, यदि इच्छुक हैं, सूचना, स्कीम तथा धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 ओर 2013 अधिनियम की अन्य लागू प्रावधानों तथा 2016 नियमावली के नियम 6 के तहत व्याख्यात्मक विवरण की भौतिक प्रति निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में एक लिखित अनुरोध कम्पनी सचिव को dsil@dcmsr.com पर भेजा जा सकता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 जनवरी, 2025

DCM SHRIRAM

हस्ता./–
रश्मि चोपड़ा
बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
BENCH AT NEW DELHI
CA (CAA) No. 103 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

AND

IN THE MATTER OF:

Composite Scheme of Arrangement amongst Lily Commercial Private Limited, DCM Shriram Industries Limited, DCM Shriram Fine Chemicals Limited and DCM Shriram International Limited and their respective shareholders and creditors.

IN THE MATTER OF :

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED, (**CIN**: L74899DL1989PLC035140), (**PAN**: AAACD0204C), A public limited company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India.	**...Transferee Company/ DCMSR**

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE UNSECURED CREDITORS OF DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED AS PER DIRECTIONS OF THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI BENCH.

Notice is hereby given that in terms of Orders dated 6th December, 2024 and 18th December, 2024, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at New Delhi **("NCLT")**, **("Orders")** has directed meeting to be held of the Unsecured Creditors of DCMSR, for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Arrangement amongst Lily Commercial Private Limited (Transferor Company), DCMSR, DCM Shriram Fine Chemicals Limited (Resultant Company 1) and DCM Shriram International Limited (Resultant Company 2) and their respective shareholders and creditors **("Scheme")** under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 **("2013 Act")** and other applicable provisions of the 2013 Act read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 **("Rules")**.

In pursuance of the said Order and as directed therein and in accordance with the applicable provisions of the 2013 Act, notice is hereby given that meeting of the Unsecured Creditors of DCMSR will be held as under, at which, the said Unsecured Creditors are requested to attend.

Sr. No.	Class of Meeting	Day and Date of Meeting	Time (IST)	Mode
1.	Unsecured Creditors	Saturday, 8th February, 2025	01:00 PM	Through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM')

DCMSR has on 3rd January, 2025 completed the dispatch of Notice of Meeting, copy of the Scheme, Explanatory Statement under Sections 230, 232 and Section 102 of the 2013 Act read with Rule 6 of Rules and accompanying documents (collectively referred to as the **"Particulars"**) to the Unsecured Creditors as per books of accounts of DCMSR as on 30th September, 2024 ('Cut Off Date'). The Particulars were sent to the Unsecured Creditors through courier (to those unsecured creditors whose e-mail IDs are not registered with the Transferee Company) and by electronic mode by e-mail (to those unsecured creditors whose e-mail IDs are registered with the Transferee Company). The Particulars can be obtained free of charge (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the Unsecured Creditors of DCMSR at the Registered Office of DCMSR. The Particulars including the e-voting instructions are available on DCMSR's website at https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ and on the website of Kfin Technologies Limited ("Kfin Tech") at www.kfintech.com.

NCLT has appointed Ms. Rashmi Chopra, Senior Advocate as Chairperson and in her absence Ms. Devira Gupta Roy, Advocate as Chairperson, of the said meeting of the Unsecured Creditors of DCMSR.

The Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Further Notice is hereby given to the Unsecured Creditors of DCMSR that:

1. DCMSR has provided the facility of remote e-voting so as to enable the Unsecured Creditors, to consider and approve the Scheme. DCMSR has also provided the facility of electronic voting system at the meeting. DCMSR has engaged the services of KfinTech for facilitating remote e-voting services and e-voting at the meeting.
2. In accordance with the provisions of Sections 230-232 of the Companies Act, 2013, the Scheme shall be acted upon if a majority of persons, representing three fourth in value of the Unsecured Creditors of DCMSR, voting, agree to the Scheme.
3. The cut-off date for determining the eligibility of the Unsecured Creditors for voting is 30th September, 2024. Voting rights of Unsecured Creditors shall be in proportion to their total outstanding dues in DCMSR as on the cut-off date.
4. Voting through remote e-voting by the Unsecured Creditors will commence on 5th February, 2025 at 9:00 AM and shall end on 7th February 2025 at 5:00 PM.
5. The Unsecured Creditors can opt for only one mode for voting i.e., either by remote e-voting or e-voting at the meeting. Unsecured Creditors who have cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. Ms. Manmeet Kaur Sareen, Advocate has been appointed as the Scrutinizer to conduct the remote e-voting process and the e-voting at the meeting in a fair and transparent manner.
7. In case of any query/grievance in relation to the voting by remote e-voting or e-voting, the same may be addressed to Mr. G S Nair, Sr.Vice President of DCMSR at Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi – 110001, India or through email at dsil@dcmsr.com/einward.ris@kfintech.com and can also be contacted at 011-43745000 / 1800 309 4001 respectively.
8. The results, together with the Scrutinizer's Report, will be announced within two working days from the conclusion of the meeting and will be placed on the website of DCMSR at https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ and on the website of KfinTech at www.kfintech.com and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of DCMSR are listed.
9. If so desired, the Unsecured Creditors may obtain a physical copy of the Notice, Scheme and the Statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the 2013 Act and Rule 6 of the 2016 Rules etc. free of charge. A written request in this regard may be addressed to the Company Secretary at dsil@dcmsr.com

Sd/-
Rashmi Chopra
Chairperson appointed for the Meeting

Place: New Delhi
Date: 3rd January, 2025

DCM SHRIRAM

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
सीए (सीएए) सं. 103/2024

के विषय में :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016.

तथा

के विषय में :

लिली कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स लिमिटेड तथा डीसीएम श्रीराम इंटरनैशनल लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम।

के विषय में :

डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (**CIN**: L74899DL1989PLC035140), (**PAN**: AAACD0204C), कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, भारत में स्थित हैं	.........अंतरिती कम्पनी/डीसीएमएसआर

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के निर्देशों के अनुसार डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अप्रत्याभूत क्रेडिटर्स की बैठक की सूचना एवं विज्ञापन।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आदेश दिनांकित 6 दिसम्बर, 2024 तथा 18 दिसम्बर, 2024 के निबन्धनों में, माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ **("एनसीएलटी")**, **("आदेश")** ने डीसीएमएसआर के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक, कम्पनी अधिनियम, 2013 **("2013 अधिनियम")** की धारा 230 से 232 तक तथा 2013 अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 **("नियमावली")** के तहत लिली कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी), डीसीएमएसआर, डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स लिमिटेड (परिणामी कम्पनी 1) तथा डीसीएम श्रीराम इंटरनैशनल लिमिटेड (परिणामी कम्पनी 2) और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडिटर्स के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम **("स्कीम")** में प्रस्तुत व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाता है, तो संशोधन(नों) के साथ अथवा उनके बिना अनुमोदित करने के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में तथा जैसा कि उसमें निदेशित किया गया है और 2013 अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि डीसीएमएसआर के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की बैठक नीचे वर्णितानुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें उक्त अप्रतिभूत क्रेडिटर्स से भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

क्र. सं.	बैठक की श्रेणी	बैठक का दिन और दिनांक	समय (आईएसटी)	मोड
1.	अप्रतिभूत क्रेडिटर्स	शनिवार, 8 फरवरी, 2025	दोपहर 01:00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से

डीसीएमएसआर, बैठक की सूचना, स्कीम की प्रति, 2013 अधिनियम की धारा 230, 232 तथा धारा 102 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 के तहत व्याख्यात्मक विवरण और संलग्न दस्तावेज (सामूहिक रूप से **"विवरण"** कहा गया है) 30 सितम्बर, 2024 ("कट ऑफ डेट") को डीसीएमएसआर की लेखा बहियों के अनुसार अप्रतिभूत क्रेडिटर्स को भेजने का कार्य 3 जनवरी, 2025 को पूर्ण कर चुकी है। उक्त विवरण अप्रतिभूत क्रेडिटर्स (जिनकी ई–मेल आईडी अंतरिती कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं हैं) को कुरियर द्वारा भेजे गए थे और उन अप्रतिभूत क्रेडिटर्स (जिनकी ई–मेल आईडी अंतरिती कम्पनी के पास पंजीबद्ध हैं) को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजे गए थे। डीसीएमएसआर के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स उक्त विवरण उसके लिए मांग पत्र प्रस्तुत करके डीसीएमएसआर के पंजीकृत कार्यालय से (शनिवार, रविवार तथा अवकाश दिनों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उक्त विवरण, ई–वोटिंग अनुदेशों सहित डीसीएमएसआर की वेबसाइट https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ पर तथा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन टेक") की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध हैं।

एनसीएलटी ने डीसीएमएसआर के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की उक्त बैठक के लिए सुश्री रश्मि चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता को अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में सुश्री देविरा गुप्ता रॉय, अधिवक्ता, को अध्यक्ष नियुक्त किया है।

उक्त स्कीम, यदि उपरोक्त बैठक में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

इसके अतिरिक्त डीसीएमएसआर के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. डीसीएमएसआर ने रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा की व्यवस्था की है, ताकि अप्रतिभूत क्रेडिटर्स स्कीम पर विचार और अनुमोदन कर सकें। डीसीएमएसआर ने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की सुविधा की व्यवस्था भी की है। डीसीएमएसआर ने रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं तथा बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुकर बनाने के लिए केफिन टेक की सेवाएं अनुबंधित की हैं।
2. कम्पनीअधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के प्रावधानों के अनुसार, स्कीम लागू की जाएगी, यदि डीसीएमएसआर के अप्रतिभूत क्रेडिटर्स के मूल्य में तीन चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वोट द्वारा स्कीम हेतु सहमति व्यक्त करते हैं।
3. वोटिंग के लिए अप्रतिभूत क्रेडिटर्स की पात्रता निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि 30 सितम्बर, 2024 है। अप्रतिभूत क्रेडिटर्स के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि को डीसीएमएसआर में उनकी कुल बकाया राशि के अनुपात में होंगे।
4. अप्रतिभूत क्रेडिटर्स द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग 5 फरवरी, 2025 को प्रातः 9:00 बजे आरंभ होगी तथा 7 फरवरी, 2025 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।
5. अप्रतिभूत क्रेडिटर्स वोटिंग की केवल एक विधि चुन सकते हैं अर्थात या तो रिमोट ई–वोटिंग या फिर बैठक में ई–वोटिंग। अप्रतिभूत क्रेडिटर्स जो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके होंगे, बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
6. सुश्री मनमीत कौर सरीन, अधिवक्ता को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया तथा बैठक में ई–वोटिंग, एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
7. रिमोट ई–वोटिंग अथवा बैठक में ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी संदेह/शिकायत की दशा में, उनको श्री जी.एस. नायर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डीसीएमएसआर, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, भारत के पते पर भेजा जा सकता है अथवा ई–मेल के माध्यम से dsil@dcmsr.com/einward.ris@kfintech.com पर भेजा जा सकता है और 011-43745000 / 1800 309 4001 क्रमानुसार पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
8. परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, बैठक की समाप्ति से दो कार्यदिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे और डीसीएमएसआर की वेबसाइट https://dcmsr.com/scheme-of-arrangement-2023/ पर तथा केफिन टेक की वेबसाइट www.kfintech.com पर पर स्थापित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंग, जहां डीसीएमएसआर के शेयर सूचीबद्ध हैं।
9. अप्रतिभूत क्रेडिटर्स, यदि इच्छुक हैं, सूचना, स्कीम तथा धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 ओर 2013 अधिनियम की अन्य लागू प्रावधानों तथा 2016 नियमावली के नियम 6 के तहत व्याख्यात्मक विवरण की भौतिक प्रति निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में एक लिखित अनुरोध कम्पनी सचिव को dsil@dcmsr.com पर भेजा जा सकता है।

हस्ता./–
रश्मि चोपड़ा
बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 जनवरी, 2025

DCM SHRIRAM